दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 त्योहारों के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर मानक संचालन प्रक्रिया

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(आपातकालीन चिकित्सा राहत)

त्योहारों के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर मानक संचालन प्रक्रिया

1. पृष्ठभूमि

अक्टूबर से दिसंबर माह त्योहारों का समय होता हैं जिसमें धार्मिक पूजा, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक समारोह, जुलूस आदि के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगती हैं। इनके आयोजन में एक दिन या एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक लग सकता हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयोजनों के दौरान आवश्यक निवारक उपायों का पालन किया जाए।

2. विस्तार

यह दस्तावेज़ कोविड19 के प्रसार को रोकने के लिए त्योहारों के स्थानों पर उठाए जाने वाले विशेष उपायों के अलावा अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। ऊपर दिए गए पैरा एक में गणना के अनुसार कोई उत्सव की घटनाओं को कंटेमेंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।

पैंसठ साल से अधिक आयु के व्यक्ति, को-मार्बिड रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिनकी उम्र दस वर्ष से कम है, उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जाती है। यह एसओपी इवेंट मैनेजर और कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

सक्षम प्राधिकारी अपने स्थानीय मूल्यांकन के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त उपायों को लागू कर सकते हैं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत समय-समय पर जारी किए गए एमएचए के आदेशों के अनुसार गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अनुमत गतिविधियों के अनुरूप अतिरिक्त उपायों को लागू कर सकते हैं।

3. प्रशासनिक आवश्यकताएं

इन त्योहारों से जुड़े त्योहार, मेले, रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक समारोह, जुलूस और नाटक/ संगीत कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। इसलिए निम्नलिखित आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है:

1. स्थानिक सीमाओं की पहचान करें और एक विस्तृत साइट योजना तैयार करें जो कि थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता आदि के अनुपालन की सुविधा प्रदान करेगी।

2. कार्यक्रमों के दिनों या सप्ताहों तक चलने वाली के मामले में, भीड़-भाड़ पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है तथा सामान्यत: भीड़ दिन के कुछ घंटों और पहले कुछ ज्ञात शुभ दिनों में अधिक रहती है। इसलिए आयोजन की योजना विशेषकर इस दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जाए और शारीरिक दूरी और लगातार स्वच्छता सुनिश्चित की जाए।

3. रैलियों और विसर्जन जुलूसों के मामले में लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और उचित शारीरिक दूरी और मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में इस तरह की रैलियों में लोगों की संख्या और उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रबंधनीय सीमा के भीतर रखा जाए।

4. रैलियों और लंबी दूरी पर फैले जुलूस जैसे कार्यक्रमों के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है।

5. कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाली कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनियों, मेला, पूजा के पंडालों, रामलीला पंडालों या संगीत कार्यक्रमों और नाटकों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए। अलग-लग समय और प्रतिबंधित प्रविष्टि पर विचार किया जा सकता है।

6. थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के लिए वॉलंटियर को उचित रूप से तैनात किया जाना चाहिए।

7. रंगमंच और सिनेमा कलाकारों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश मंच कलाकारों पर भी लागू होंगे।

8. सैनिटाइज़र, थर्मल गन और जमीन पर बनाए गए सामाजिक दूरी के चिह्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

9. संदिग्ध मामलों के आइसोलेशन के लिए प्रत्येक कार्यक्रम स्थल में आइसोलेशन की जगह हों।

10. क्लोज सर्किट कैमरों को शारीरिक दूरी के मानदंडों के अनुपालन की देखरेख और मास्क पहनने की निगरानी करने के लिए लगाया जा सकता है।

11. रैलियों और जुलूसों के मामले में रूट प्लानिंग, विसर्जन स्थलों की पहचान, क्राउड मैनेजमेंट सुनिश्चित करना, शारीरिक दूरी जैसी ज़रूरी बातें पहले ही प्लान की जानी चाहिए।

12. सभी कार्यक्रमों को स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति के लिए निकटतम अस्पतालों से जुड़कर स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की योजना बनानी चाहिए।

4. सामान्य निवारक उपाय

कोविड-19 के ज़ोखिम को कम करने के लिए सरल जन स्वास्थ्य उपायों में शामिल सामान्य निवारक उपायों का पालन किया जाना है। इन उपायों का कार्यक्रम प्रबंधक, संगठनात्मक कर्मचारी और त्यौहार में उपस्थित लोगों के माध्यम से पालन किया जाना चाहिए, इसमें निम्नलिखित शामिल है:

1. व्यक्तियों को जहां तक संभव हो सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए।

2. अनिवार्य होने के लिए फेस कवर/ मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. जब भी हाथ गंदे न हों तब भी साबुन और पानी से कम से कम चालीस से साठ सेकंड तक हाथ धोएं। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग (कम से कम बीस सेकंड तक) जहाँ भी संभव हो, उपयोग किया जाना चाहिए।

4. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खांसते/छींकते समय नाक और मुंह को टिशु/रूमाल/ मुड़ी कोहनियों से ढंका जाना चाहिए तथा टिशु का उचित निपटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5. सबको अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करनी चाहिए तथा रोग से पीड़ित होने की सूचना राज्य और जिला हेल्पलाइन को जल्द से जल्द देनी चाहिए।

6. थूकना सख्ती से वर्जित होना चाहिए।

7. सबको आरोग्य सेतु ऐप की (इंस्टॉलेशन) स्थापना और उपयोग सलाह दी जाएगी।

5. सभी त्यौहारों में आयोजित होने कार्यक्रम निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

क) कार्यक्रम की योजना बनाना

1. प्रत्येक आयोजक (धार्मिक स्थानों, रैलियों, जुलूसों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों आदि) के आयोजन के बारे में पहले से अच्छी तरह से योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सभी प्रासंगिक हितधारक जैसे कि कार्यक्रम आयोजक, व्यवसाय के मालिक, बाजार संघ आदि शामिल हैं।

2. त्यौहार के कार्यक्रम को केवल कंटेनर जोन के बाहर ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनर जोन से आयोजकों/कर्मचारियों/आगंतुकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कंटेनर जोन के अंदर रहने वाले लोगों को अपने घरों के अंदर सभी त्योहारों को मनाने और बाहर न निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम स्थानों की सभी जगहों पर पर्याप्त दूरी के अनुसार उचित चिह्न फर्श पर बनाए जाने चाहिए, जिन्हें सार्वजनिक रूप से आसानी से देखा जा सकें।

4. पर्याप्त कार्यबल (कर्मचारियों) को हर समय शारीरिक दूरी के मानदंडों और अन्य निवारक उपायों का अनुपालन के लिए आयोजकों द्वारा तैनात/ व्यवस्थित किया जाएगा।

5. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपयुक्त व्यवस्था जैसे कि फेस कवर/मास्क और अन्य सामग्रियों जैसे किहैंड सैनिटाइज़र, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल को बार-बार छूने वाली सतहों को साफ करने आदि के लिए कार्यक्रम आयोजकों/व्यावसायिक मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

6. टिकट काउंटर पर भीड़ की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक दूरी के मानदंडों के अनुपालन के लिए योजना बनाई जाएगी।

7. कार्यक्रम के आयोजक/ व्यावसायिक मालिक संपर्क रहित भुगतान के लिए उपयुक्त प्रावधान कर सकते हैं।

8. प्रत्येक कार्यक्रम के स्थल पर 'क्या करें और क्या न करें' के परामर्श को प्रसारित/ डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

9. कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टर/ स्टैंड/ एवी मीडिया को कार्यक्रम स्थलों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

10. सभी कार्यक्रम प्रबंधक कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रियाओं पर स्टाल मालिकों/कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी देंगें।

11. आयोजित कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम/ प्रदर्शिनी/ रैलियों के दौरान लक्षणसूचक पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अलग करने के लिए एक निर्दिष्ट अलगाव (आइसोलेशन) का कमरा/ पृथक स्थान होना चाहिए, जब तक कि चिकित्सा सहायता उपलब्ध न हों।

ख) कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास

1. अधिमानतः आगंतुकों के लिए कई और अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार सुनिश्चित किए जाएंगे। कार्यक्रम के लिए संरचना/स्थान/स्थल में पर्याप्त प्राकृतिक क्रॉस-वेंटिलेशन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. प्रवेश के दौरान पर्याप्त हाथों की स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जाना चाहिए।

3. केवल वे कर्मचारी और आगंतुक जो कि लक्षण मुक्त हैं, उन्हें आयोजन स्थल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।

4. थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने पर किसी को भी विनम्रता से प्रवेश से इनकार कर दिया जाना चाहिए और तत्काल चिकित्सा देखभाल लेने की सलाह दी जानी चाहिए।

5. सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर हर समय फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा।

6. न्यूनतम छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने का अनुपालन किया जायेगा, जब प्रवेश के लिए कतारबद्ध हों तथा आयोजन स्थल के अंदर भी यथासंभव इसका पालन किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फर्श पर बनाए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों का उपयोग किया जा सकता है।

7. पार्किंग स्थल, प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया), छोटी दुकानों (स्टॉल) और भोजनालयों इत्यादि जैसे स्थलों के परिसर के भीतर और बाहर उचित भीड़ प्रबंधन के लिए विधिवत शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. धार्मिक स्थानों में प्रवेश से पहले अपने जूते/चप्पल प्राथमिकता के तौर पर स्वयं के वाहन से अंदर रखें जाने चाहिए। यदि आवश्यक हों, तो कार्यक्रम स्थल पर जूते/चप्पल के लिए आबंटित स्थान पर अलग-अलग समय के दौरान प्रत्येक व्यक्ति/परिवारों द्वारा स्वयं रखा जाना चाहिए।

ग) कार्यक्रम स्थल के भीतर गतिविधियां

1. गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार, कार्यक्रम स्थल के अंदर आगंतुकों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा।

2. पंडालों, फूड कोर्ट, प्रदर्शनी आदि में बैठने की व्यवस्था के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। परिसर के बाहर और भीतर किसी भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में भी हर समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा।

3. यदि आवश्यक हों, तो सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल में (डिस्पोजेबल कप/ ग्लास के लिए प्रावधान के साथ) की जानी चाहिए।

4. एयर-कंडीशनिंग/वैंटीलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें इस बार पर बल दिया जाएगा कि क. सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान 24-30 °C की सीमा में होना चाहिए ख. सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होना चाहिए, ग. ताज़ा हवा का उपयोग जितना संभव हो उतना हों चाहिए घ. क्रॉस वेंटीलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

5. धार्मिक स्थानों में, प्रतिमा/मूर्तियों/पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संक्रमण प्रसारण के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हों, रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं और गाना बजानेवालों या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

7. कार्यक्रम स्थल पर भोजन तैयार करते और वितरित करते समय सामुदायिक रसोई/लंगर/"अन्न-दान"आदि में शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा।

8. सामुदायिक रसोई प्रबंधक और खाद्य दुकानों के व्यवसाय के मालिक हर समय बेहतर स्तर की व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का पालन सुनिश्चित करेगें, विशेषकर भोजन तैयार करने, परोसने/खाने के बाद और निपटान के बाद स्वच्छता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

घ) साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता

1. परिसर के भीतर प्रभावी और लगातार स्वच्छता जैसे कि अक्सर छुई जाने वाली सतहों/ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शौचालय, पीने और हाथ धोने के स्थान या क्षेत्र शामिल हैं।

2. नियमित साफ़-सफ़ाई और कीटाणुशोधन (एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करते हुए) समस्त सार्वजनिक उपयोगिता वाले सामान्य क्षेत्रों में जैसे कि अक्सर छुई जाने वाली सतहों (डॉकार्नोब्स, एलेवेटर बटन, हैंड्रिल, क्यू बैरिकेड्स, सीट, बेंच, वॉशरूम फिक्स्चर, आदि) पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

3. आगंतुकों और कर्मचारियों को परिसर में उपलब्ध ढंकन लगे कचरे के डिब्बे में उपयोग किए गए फेस कवर/मास्क को निपटाने की सलाह दी जानी चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न कचरे को खतरनाक अपशिष्ट निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जा सकता है।

ड़. किसी भी संदिग्ध मामले या कार्यक्रम के आयोजन के दौरान लक्षणों से पीड़ित व्यक्ति के मामले में एसओपी का पालन किया जाना चाहिए

4. बीमार व्यक्ति को एक कमरे या क्षेत्र में रखें, जहां वे दूसरों से अलग-थलग हैं।

5. जब तक उसकी चिकित्सक द्वारा जांच नहीं की जाती है तब तक वह व्यक्ति मास्क/फेस कवर पहने हुए अलग-थलग रहेगा।

6. यदि लक्षण बिगड़ते हैं, तो निकटतम चिकित्सा सुविधा केंद्र (अस्पताल/क्लिनिक) को सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें।

7. नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी /उपचार चिकित्सक) द्वारा जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, उसके संपर्कों और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

8. यदि व्यक्ति सकारात्मक पाया जाता है तो परिसर का कीटाणुशोधन किया जाएगा।